न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
17/8/21	प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित वास्ते जवाब सरकार पत्रावली दिनांक 27/8/21 को पेश हो।
27/8/21	पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण लोक अदालत कैम्प कोर्ट में निस्तारण योग्य होने से पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट में दिनांक 29/12/21 को रखा गया।
11/12/21	आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प कोटकासिम मे पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने कथन मे कहा कि ग्राम सिलपटा के खाता संख्या 82, 44, 187, 108 मे दर्ज नेहा पुत्री विरेन्द्र निवासी सिलपटा का नाम दर्ज रिकोर्ड है। जबकि वास्तविक नाम नेहा पुत्री अजीत सिंह है। नेहा पुत्री विरेन्द्र को उक्त आराजी से नाम हजफ कर नेहा पुत्री अजीत सिंह दर्ज किया जावे। तहसीलदार कोटकासिम ने अपने जवाब मे अंकित किया कि नेहा पुत्री विरेन्द्र नाम का कोई कृषक नही है। नेहा पुत्री अजीत सिंह सही नाम है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। तहसीलदार कोटकासिम की रिपोर्ट के अवलोकन से नेहा पुत्री अजीत सिंह वास्तविक नाम है इसे दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 82, 44, 187, 108 वाके ग्राम सिलपटा में नेहा पुत्री विरेन्द्र निवासी सिलपटा के स्थान पर नेहा पुत्री अजीत सिंह निवासी सिलपटा किया [illegible] अनुसार राजस्व रिकोर्ड में [illegible] कोटकासिम को अहकाम [illegible] होकर नोटिस से कम हो [illegible] भण्डार हो। उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:07:10 IST
Reason: SelfAttested